

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2015 सत्र)

(दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 से 23 दिसम्बर, 2015 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 1			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	16 दिसम्बर, 2015	05 दिसम्बर, 2015
वित्त	"		
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"		
जनसंपर्क	"		
खनिज साधन	"		
ऊर्जा	"		
विमानन	"		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		
समाज कल्याण	"		
श्रम	श्रम मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	"		
जन शिकायत निवारण	"		
वर्ग - 2			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	17 दिसम्बर, 2015	07 दिसम्बर, 2015
संसदीय कार्य	"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	"		
चिकित्सा शिक्षा	"		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
ग्रामोद्योग	"		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"		
सहकारिता	सहकारिता मंत्री		
संस्कृति	"		
पर्यटन	"		
वर्ग - 3			
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री	21 दिसम्बर, 2015	08 दिसम्बर, 2015
वाणिज्यिक कर	"		
वाणिज्य एवं उद्योग	"		
सार्वजनिक उपक्रम	"		
गृह	गृह मंत्री		
जेल	"		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"		
वन	वन मंत्री		
विधि एवं विधायी कार्य	"		

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
वर्ग - 4					
कृषि	कृषि मंत्री	22 दिसम्बर, 2015	09 दिसम्बर, 2015		
पशुधन विकास	"				
मछली पालन	"				
जल संसाधन	"				
आयाकट	"				
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"				
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री				
स्कूल शिक्षा	"	23 दिसम्बर, 2015	10 दिसम्बर, 2015		
वर्ग - 5					
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	राजस्व मंत्री				
उच्च शिक्षा	"				
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"				
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"				
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री				
आवास एवं पर्यावरण	"				
परिवहन	"				

- नोट :- 1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये विभागों के संपूर्ण वर्ग को लागू होंगे।
2. विभाग से उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि को उत्तर **कार्यालय समय** में ही प्रेषित करना कृपया सुनिश्चित किया जाये, कार्यालय समय के पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा प्रश्नोत्तर-सूची में "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ" टीप के साथ मुद्रित कर दिया जावेगा।
3. अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 18 (6) के पालन में जिन प्रश्नों के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट पॉच अथवा पॉच से अधिक पृष्ठ के हों, विभाग ऐसे उत्तरों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी.) भी उत्तर के साथ (परिशिष्ट की प्रति सहित) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें।

रायपुर
दिनांक : 04 नवम्बर, 2015

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा
रायपुर, दिनांक : 04 नवम्बर, 2015

पृ.क्र. 9809/वि.स./प्रश्न/2015

प्रतिलिपि :-

- माननीय मुख्यमंत्री
- समस्त माननीय मंत्री एवं माननीय संसदीय सचिव
- मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
- शासन के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा